

65  
024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप।

उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों व वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों का भी भली-भांति अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम भीटवाडा तह बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा न 811, 812, 824, 825, 842, 870 व 871 कुल खसरा 7 कुल रकबा 0.057 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अब्बल, गै.मु.बेरा व सडा की भूमि में वादीनी के पिता सार्दुल सिंह के देहांत पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण से वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया जाने से वादीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/15वे हिस्से की खातेदार घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की मांग की गई। वादीनी के वाद का प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाबदावा के साथ में काउण्टर क्लेम भी पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के वाद का स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया। हस्त प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बाली में वाद चला जो दीवानी वाद संख्या 2/06 तखतसिंह बनाम नाथुसिंह वगैरा दिनांक 26.11.2008 को निर्मित हुआ। जिस वाद में वादीया स्वयं द्वारा बतौर साक्ष्य बयान देकर स्वीकार किया कि सार्दुलसिंह की सम्पत्तियों का बंटवारा हो गया है। इसके साथ ही यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि वादीनी द्वारा पूर्व में म्यूटेशन अपील भी पेश की गई है जो अपील संख्या 2/09 जरिये आहरण दिनांक 16.09.2009 को खारिज करवाई जा चुकी है तथा अब पुनः उक्त वाद पेश किया है। विधि के प्रावधानों अनुसार वादी को अपने वाद में उल्लेखित तथ्यों को प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है। जबकि वादीया पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। इसी आशय की आपत्ति प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा की गई है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 17(2) व आदेश 13 नियम(4) व दीवानी प्रक्रिया के नियम 53, 54, 57 की पालना नहीं होने से वादीया का वाद साबित नहीं है। लिहाजा वादीया द्वारा ग्राम भीटवाडा स्थित भूमि खसरा न 811, 812, 824, 825, 842, 870 व 871 कुल खसरा 7 कुल रकबा 0.057 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अब्बल, गै.मु.बेरा व सडा के 1/15 हिस्सा के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं वंदेगरेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली